



21/02/23

न्यायालय निलाप पत्र पदाधिकारी-सह- अंचल अधिकारी, जमुआ गिरिडीह

अभिलेख संख्या- 02/2023-23

मूल्य-

कॉर्ट फी-

कुल राशि-

अभिलेख का प्रकार- गिलाप पत्र पदाधिकारी

अभ्युक्ति

देश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक लिमिटेड, जमुआ	के द्वारा
देनदार	बालकृष्ण महतो	पिता/पति
गिरणी महतो	गाम	पुतापुड़ा पोस्ट, जमुआ
थाना	जमुआ	जिला-गिरिडीह के विरुद्ध मो0 8293/—
रुपये की वसूली लोक मॉग अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत अधियाचना पत्र देकर प्रमाण पत्र मुकदमा दायर किया गया है।		
अधियाचना पत्र के साथ देनदार द्वारा किया गया लोक मॉग वसूली अधिनियम के अधीन वसूली हेतु इकरारनामा की प्रति लेखा विवरणी तथा अन्य मान्य कागजात दाखिल किया गया है।		
मुकदमे की स्वीकृति हेतु मो0.....		
रुपये मूल्य का कॉर्ट फी स्टाम्प दायर किया गया है। स्टाम्प दायर करने हेतु समय की मॉग की गई है। जिसे स्वीकार किया जाता है।		
पंजी-ग में अंकित करके स्टाम्प दायर मामले में दफा-7 के अन्तर्गत देनदार/जमानतदार को सूचना प्रप.-1 में नितर्गत करें। जिसका तामिला अधियाची पदाधिकारी से करायें।		
अभिलेख दिनांक 21/02/2023 को उपस्थापित करें।		
नीलाप पत्र पदाधिकारी, -सह- अंचल अधिकारी, जमुआ।		

21/02/23

अभिलेख उपस्थापित।

देनदार द्वारा संबंधित बैंक से
D No. Dues Certificate की दायरा प्रति प्रस्तुत
किया गया है। जमा अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की
जाती है।

गिरिडीह न्यायालय पत्र पदाधिकारी
-सह-

अंचल अधिकारी, जमुआ